प्रेस विज्ञप्ति
28.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में चल रही जांच के संबंध में **18.78 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए 26.08.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। कुर्क संपत्तियां फ्लैट/अपार्टमेंट, वाणिज्यिक स्थान, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड के रूप में हैं।

ईडी ने कोलकाता पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस द्वारा मेसर्स टी एम ट्रेडर्स, मेसर्स के के ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ भादस, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के मामले में जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स की वेबसाइट न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही उसे विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है। आरबीआई ने 07.09.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट लिस्ट भी जारी की है, जिसे अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के खिलाफ आम जनता को चेतावनी देने के लिए प्रकाशित किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रसेनजीत दास और तुषार पटेल जैसे व्यक्तियों द्वारा कई डमी कंपनियों का उपयोग करके बड़ी सफाई से धोखे की साजिश रची गई थी, ताकि निवेशकों को टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते हुए धोखाधड़ी की योजना में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, आईएक्स ग्लोबल के निदेशकों और प्रमोटरों/प्रभावकों अर्थात् विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज और अन्य ने सक्रिय रूप से टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकर के रूप में प्रचारित किया। आईएक्स ग्लोबल के सदस्यों और उपयोगकर्ताओं ने अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेश किया।

आगे की जांच के दौरान पता चला है कि टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल/आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड/आईएक्स ग्लोबल के विभिन्न प्रभावकों/प्रमोटरों अर्थात विराज सुहास पाटिल, तुषार पटेल, जोसेफ मार्टिनेज आदि के खिलाफ देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन्होंने टीपी ग्लोबल एफएक्स/आईएक्स ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पर विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए निवेश किए गए धन पर उच्च रिटर्न देने के बहाने आम जनता को लुभाया था।

इससे पहले ईडी ने इस मामले में शैलेश कुमार पांडे, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था। वर्तमान कुर्की के बाद जब्त/फ्रीज/अटैच की गई कुल संपत्ति की राशि नकद, सोना, रियल एस्टेट, आतिथ्य प्रतिष्ठान, कार्यालय स्थान, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टो करेंसी और बैंक बैलेंस के रूप में **291 करोड़ रुपये** (लगभग) है। इसके अलावा, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पहले ही तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।

आगे की जांच जारी है।